संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
दिशा निर्देश

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन
संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001
वेबसाइटः www.mplads.nic.in

नवम्बर 2005

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	i
	प्रस्तावना	ii
1	पृष्ठभूमि	1
2	विशेषताएं	2
3	कार्यान्वयन	4
4	निधि जारी करना और प्रबंधन	9
5	लेखाकरण कार्यविधि	13
6	प्रबोधन	15
7	दिशा-निर्देश लागू किया जाना	19
अनुबंध-I	केंद्रक जिलों के चयन के लिए फार्म	20
अनुबंध-II	एमपीलैड्स के अधीन प्रतिबंधित कार्यों की सूची	21
अनुबंध-III	संसद सदस्यों द्वारा उपयुक्त कार्यों की अनुशंसा के लिए प्रपत्र	22
अनुबंध-IV क	जिला प्राधिकारी हेतु सूचना प्रपत्र	23
अनुबंध-IV ख	मास्टर डाटा एंट्री हेतु सूचना प्रपत्र	25
अनुबंध-IV ग	मासिक आंकड़ा प्रविष्टि हेतु इनपुट फार्मेट	26
अनुबंध-IV घ	कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा डाटा एंट्री के लिए फार्म	27
अनुबंध-IV ड.	सेक्टर और स्कीमों की कोड सूची	28
अनुबंध-V	करार फार्म	31
अनुबंध-VI	मासिक प्रगति रिपोर्ट	34
अनुबंध-VII	कार्य समापन रिपोर्ट	37
अनुबंध-VIII	उपयोग प्रमाणपत्र फार्म	38
अनुबंध-IX	लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र	39

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
दिशा निर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 आम जनता अपने क्षेत्रों में सामुदायिक अवसरंचना सहित कतिपय मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान के लिए संसद सदस्यों (एम पी) से अनुरोध करती है । भारत सरकार ने ऐसे अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता महसूस की और लोगों द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक योजना बनाने का निर्णय लिया ।

1.2 प्रधान मंत्री ने 23 दिसम्बर, 1993 को संसद में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की । आरंभ में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन थी । फरवरी, 1994 में दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिसमें योजना की संकल्पना, कार्यान्वयन और प्रबोधन को शामिल किया गया था । संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित विषय, अक्तूबर, 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को अंतरित किया गया । दिसम्बर 1994, फरवरी 1997, सितम्बर 1999 और अंतिम बार अप्रैल 2002 में दिशा-निर्देशों को आवधिक रूप से अद्यतन बनाया गया । एक दशक के दौरान प्राप्त अनुभव और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा संसद सदस्यों के साथ किए गए परस्पर विचार-विमर्श में संसद सदस्यों, संसद की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति, योजना आयोग और नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की दो रिपोर्टों में दिए गए सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, दिशा-निर्देशों में व्यापक संशोधन की जरूरत महसूस की गई ।

1.3 योजना का उद्देश्य, संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन पर जोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने हेतु सक्षम बनाना है । योजना के आरंभ से ही, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थायी परिसंपत्तियों अर्थात् पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कें इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है ।

1.4 वर्ष 1993-94 में जब योजना को लागू किया गया, प्रत्येक संसद सदस्य को 5 लाख रूपए की राशि आबंटित की गई थी, जो 1994-95 से प्रत्येक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक करोड़ रूपए प्रति वर्ष हो गई थी । 1998-99 से इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रूपए कर दिया गया था ।

1.5 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना के कार्यान्वयन के लिए नीतियां बनाने, निधियां जारी करने और प्रबोधन तंत्र निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार रहा है । राज्य अथवा

संघ शासित क्षेत्र में किसी एक विभाग को केंद्रक विभाग नियुक्त किया जाता है । उसके पास पर्यवेक्षण, प्रबोधन और जिलों तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ सां.स्था.क्षे.वि.यो. के कार्यान्वयन के समन्वय का समग्र उत्तरदायित्व होता है । भारत सरकार, जिला प्राधिकारियों को जारी की गई सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों के बारे में राज्य केंद्रक विभाग को अवगत कराती है । जिला प्राधिकारी, सां.स्था.क्षे.वि.यो. के कार्यान्वयन की स्थिति से भारत सरकार और राज्य केंद्रक विभाग को अवगत कराता है । जिला प्राधिकारी, स्थानीय स्वायत सरकारों अथवा सरकारी अभिकरणों द्वारा सां.स्था.क्षे.वि.यो. को कार्यान्वित करवाते हैं । कुछ मामलों में, जिला प्राधिकारी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को सां.स्था.क्षे.वि.यो. के कार्यान्वयन हेतु नियुक्त करते हैं ।

2. विशेषताएं

2.1 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एक योजना स्कीम है जिसके लिए निधि पूरी तरह भारत सरकार द्वारा दी जा रही है । सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों की प्रति संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र वार्षिक पात्रता 2 करोड़ रूपए है ।

2.2 लोक सभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं । राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य, अपने निर्वाचन राज्य के एक या अधिक जिलों में कार्यान्वयन हेतु कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं । लोक सभा एवं राज्य सभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी एक या अधिक जिलों में कार्यान्वयन हेतु कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं ।

2.3 लोक सभा एवं राज्य सभा सदस्य **अनुबंध-I** में दिए गए प्रपत्र में अपनी पसंद के केंद्रक जिले से निदेशक (एमपीलैड्स), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को अवगत कराएंगे और उसकी प्रति राज्य केंद्रक विभाग और जिला प्राधिकारियों को भी भेजेंगे । यदि किसी एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अधीन एक से अधिक जिले आते हैं, लोक सभा सदस्य किसी एक जिले को केंद्रक जिले के रूप में चुन सकते हैं ।

2.4 **अनुबंध-II** में प्रतिबंधित कार्यों के अलावा वे सभी कार्य जो स्थानीय सामुदायिक अवसंरचना और विकास की आवश्यकताओं के अनुसार हों और संबद्ध निर्वाचन क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन पर जोर देते हों, सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत अनुमेय हैं । सांसद, योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं अर्थात् पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों, जैसी स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुछ कार्यों का चयन कर सकते हैं ।

2.5 **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों का विकासः** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों का विकास अत्यावश्यक है । ऐसे क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है । संसद सदस्यों को प्रति वर्ष सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों में से अनुसूचित जाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिए कम से कम 15 % और अनुसूचित जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिए 7.5 % की लागत के

कार्यों की अनुशंसा करनी होती है । दूसरे शब्दों में, प्रत्येक संसद सदस्य के 2 करोड़ रू. के वार्षिक आवंटन में से अनुसूचित जाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 लाख रूपए के कार्यों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिए 15 लाख रूपए के अनुमेय कार्यों की अनुशंसा करनी होगी । यदि, किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र नहीं है, ऐसी निधियां अनुसूचित जाति के निवास क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाएं और विपरीत स्थिति में भी इसी प्रकार प्रयोग में लाई जाएं । दिशा-निर्देशों के इस प्रावधान को लागू करने की जिम्मेवारी जिला प्राधिकारी की होगी ।

2.6 प्रत्येक सांसद, संबद्ध जिला प्राधिकारी को **अनुबंध-III** में दिए गए प्रपत्र में वित्तीय वर्ष के दौरान, जहां तक हो सके वित्तीय वर्ष शुरू होने के 90 दिनों के अंदर वार्षिक पात्रता की सीमा तक कार्यों की अनुशंसा करेगा । जिला प्राधिकारी, दिशा-निर्देशों में दिए गए प्रावधानों, राज्य सरकार द्वारा ऐसे कार्यों के कार्यान्वयन हेतु स्थापित कार्यविधि के अनुसार पात्र स्वीकृत कार्यों को कार्यान्वित कराएंगे ।

2.7 **प्राकृतिक आपदाएं:** बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, तूफान और अकाल जैसी आपदाओं से ग्रसित क्षेत्रों में भी सां.स्था.क्षे.वि.यो. कार्यों को कार्यान्वित किया जा सकता है । उक्त राज्य के सुरक्षित क्षेत्रों के लोक सभा सांसद, उस राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 10 लाख रू. प्रति वर्ष तक के अनुमेय कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं । संबद्ध संसद सदस्य की निधियां संबंधित केंद्रक जिले द्वारा प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी को जारी की जाएंगी । प्रभावित क्षेत्र के जिला प्राधिकारी द्वारा सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों को दिशा-निर्देशों में अनुमेय कार्यों के लिए इकट्ठा किया जा सकता है । प्रभावित जिलों के जिला प्राधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों और निधियों की कार्य समापन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र, उस जिला प्राधिकारी को उपलब्ध करवाएगा जिससे निधियां प्राप्त हुई हैं ।

2.8 देश में **'विकराल प्राकृतिक आपदा'** आने पर, सांसद, प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 50 लाख रूपए के कार्यों की अनुशंसा कर सकता है । आपदा, विकराल है या नहीं, यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा । इस संबंध में अनुमेय कार्यों को करवाने के लिए निधियां संबद्ध संसद सदस्य के केंद्रक जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा प्रभावित जिलों के जिला प्राधिकारी को जारी की जाएंगी । प्रभावित जिलों के जिला प्राधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों और निधियों की कार्य समापन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र, उस जिला प्राधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे जिससे निधियां प्राप्त हुई हैं ।

2.9 यदि कोई निर्वाचित संसद सदस्य, उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र, जिससे वो चुना गया है, की शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार दूसरे राज्य/संघ शासित क्षेत्र में करना चाहता है, तो वह इन दिशा-निर्देशों के अधीन एक वित्त वर्ष में अधिकतम 10 लाख रूपए तक के शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित उन कार्यों, जो दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधित नहीं हैं, का चयन कर सकता है । ऐसे मामलों में, केंद्रक जिला प्राधिकारी, समन्वयन एवं अन्य कार्यकलापों जो दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उसे प्रदान किए गए हैं, के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा । संबद्ध जिलों के जिला

प्राधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों और निधियों की कार्य समापन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र, उस जिला प्राधिकारी को उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे निधियां प्राप्त हुई हैं ।

2.10 **जिला प्राधिकारीः** सामान्य तौर पर जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, जिले में सां.स्था.क्षे.वि.यो. कार्यों के कार्यान्वयन के लिए जिला प्राधिकारी होंगे । यदि जिला आयोजना समिति को राज्य सरकार द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो जिला आयोजना समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है । नगर निगमों के संबंध में, आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं । इस संबंध में, यदि कोई संदेह होगा तो राज्य/संघ शासित सरकार के परामर्श से भारत सरकार, सां.स्था.क्षे.वि.यो. कार्यान्वयन के लिए जिला प्राधिकारी का निर्णय करेगी ।

2.11 **कार्यान्वयन अभिकरणः** जिला प्राधिकारी उस कार्यान्वयन अभिकरण को चुनेंगे जिसके द्वारा संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कार्य विशेष का कार्यान्वयन कराया जाएगा । इस प्रकार, जिला प्राधिकारी द्वारा चुना गया क्रियान्वयन अभिकरण ही कार्यान्वयन अभिकरण होगा । ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को ही कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और कार्यों का कार्यान्वयन इन पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक द्वारा किया जाना चाहिए । शहरी क्षेत्रों में, कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और कार्यों का कार्यान्वयन नगर निगमों, नगरपालिकाओं के आयुक्तों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, जिला प्राधिकारी, या तो सरकारी विभाग इकाई अथवा सरकारी अभिकरण अथवा प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) जो कि कार्यान्वयन अभिकरणों की तरह ही संतोषजनक रूप से कार्यों का कार्यान्वयन करने में सक्षम हो, का चयन कर सकता है । सरकारी विभागों द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन हेतु, जिला प्राधिकारी, पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग, ग्रामीण आवास, आवासीय बोर्ड, विद्युत बोर्ड और शहरी विकास प्राधिकरणों जैसी इकाइयों का चयन कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में कर सकता है ।

3. कार्यान्वयन

3.1 प्रत्येक संसद सदस्य उपयुक्त कार्यों की अनुशंसा संसद सदस्य के पत्र शीर्ष पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर करके भेजेगा । **अनुबंध-III** पर संसद सदस्यों द्वारा जिला प्राधिकारी को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रपत्र दिया गया है । संसद सदस्यों के प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा की गई अनुशंसा अनुमेय नहीं है ।

3.2 यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक जिले हैं और संसद सदस्य केंद्रक जिले के अलावा किसी अन्य जिले में कार्यों की अनुशंसा करना चाहता है, तो केंद्रक जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कार्यों की सूची, उस जिला प्राधिकारी को दी जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों का कार्यान्वयन किया जाना है । जिस जिला प्राधिकारी के अधिकार

क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों का कार्यान्वयन किया जाना है, उसे समुचित लेखे रखने होंगे और कार्यों के समय पर कार्यान्वयन के लिए समुचित क्रियाविधि का पालन करना होगा ।

3.3 जिला प्राधिकारी ऐसे कार्यान्वयन अभिकरण का चयन करेगा जो पात्र कार्यों का कार्यान्वयन गुणवत्ता से, समय पर और संतोषजनक रूप से कर सके । जिला प्राधिकारी कार्य के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य/संघ शासित क्षेत्र के स्थापित तारीकों से काम की जांच, तकनीक, कार्य का आकलन, निविदा एवं प्रशासनिक क्रियाविधि का अनुपालन करेगा और ऐसे कार्यों के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

3.4 संबद्ध संसद सदस्य की सहमति के बिना संसद सदस्य द्वारा कार्य एवं कार्य के निष्पादन के लिए चयनित कार्य स्थल को बदला नहीं जाएगा ।

3.5 जहां जिला प्राधिकारी को महसूस हो कि किसी कारण से अनुशंसित कार्य को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, जिला प्राधिकारी, प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिनों के अंदर-अंदर संबद्ध संसद सदस्य के साथ-साथ भारत सरकार और राज्य/संघ शासित सरकार को कारणों से अवगत कराएगा ।

3.6 जिला प्राधिकारी, स्वीकृत कार्य के कार्यान्वयन से पूर्व प्रस्तावित परिसंपत्ति के प्रचालन, रखरखाव एवं व्यवस्था के संबंध में संबद्ध उपयोगकर्ता अभिकरण से अग्रिम रूप से मुकम्मल वचनबद्धता प्राप्त करेगा ।

3.7 संसद सदस्य की पूर्ण पात्रता की सीमा तक अनुशंसा के अनुसार जिला प्राधिकारी कार्यों की स्वीकृति प्रदान करेंगे । तथापि, इन दिशा-निर्देशों में दिए गए विवरण के अनुसार निधियों के जारी करने को विनियमित किया जाएगा ।

3.8 यदि किसी कार्य की अनुमानित राशि, संसद सदस्य द्वारा उसी कार्य के लिए इंगित राशि से अधिक है, तो स्वीकृति देने से पूर्व संसद सदस्य की सहमति आवश्यक है ।

3.9 कार्य को तभी स्वीकृति एवं कार्यान्वित किया जाना चाहिए यदि संबद्ध संसद सदस्य ने वर्ष में कार्य की पूर्ण अनुमानित राशि आबंटित कर दी हो । यदि पूर्ण अनुमानित राशि के लिए वचनबद्धता प्राप्त न हो और यदि संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित राशि कार्य के प्राक्कलन से कम है और ऐसा कोई अन्य स्रोत भी नहीं है जिससे इस कमी को पूरा किया जा सके, तो कार्य को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप अंततः कार्य, निधियों की कमी के कारण अधूरा पड़ा रहेगा । संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित किए गए कार्य की तुलना में अनुमानित

लागत में आई कमी के बारे में संसद सदस्य को प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिनों के अंदर-अंदर सूचना दी जानी चाहिए ।

3.10 यदि, जिला प्राधिकारी को अनुशंसाओं की एक से अधिक सूची प्राप्त होती है, तो प्राथमिकता पहले प्राप्त, पहले विचार के आधार पर दी जानी चाहिए ।

3.11 ऐसे सभी कार्यों, जिनकी अनुशंसाएं, संसद सदस्य की कार्यावधि के अंतिम दिन तक जिला प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हो जाती हैं, को कार्यान्वित किया जाएगा बशर्ते वो प्रतिमानकों के अनुसार हों और संसद सदस्य की सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों की पात्रता की सीमा में हों । पुनः चुने जाने के बाद भी संसद सदस्य ऐसे कार्यों को बदल नहीं सकते । यह केंद्रक जिला प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वो दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने अथवा निवर्तमान/पूर्व संसद सदस्य को कार्य अस्वीकृत किए जाने के कारणों से अवगत कराने के लिए संसद सदस्य की कार्यावधि के 45 दिनों के अंदर-अंदर ऐसे सभी अनुशंसित कार्यों की जांच करें ।

3.12 संसद सदस्य की अनुशंसा प्राप्त होने पर, जिला प्राधिकारी को प्रत्येक अनुशंसित कार्य की पात्रता एवं तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करनी चाहिए । ऐसे सभी पात्र कार्यों को अनुशंसा प्राप्त होने के 45 दिनों के अंदर स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए । वास्तविक कारणों से विलंब होने पर, स्वीकृति पत्र में विलंब के स्पष्टीकरण को समाविष्ट किया जाना चाहिए । उससे संसद सदस्य और राज्य/संघ शासित सरकार को भी अवगत कराया जाना चाहिए । यदि कोई अनुशंसित कार्य उचित अथवा व्यवहार्य नहीं है, जिला प्राधिकारी, संबंधित संसद सदस्य, भारत सरकार और राज्य/संघ शासित सरकार को कारणों सहित उसकी सूचना देगा ।

3.13 स्वीकृति पत्र/आदेश में कार्यान्वयन अभिकरण के लिए कार्य समापन की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी । कार्य समापन के लिए समय-सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि किसी विशेष मामले में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष की सीमा को पार कर जाता है, स्वीकृति पत्र/आदेश में उसके लिए विशेष कारण शामिल किए जाएंगे । स्वीकृति पत्र/आदेश में राज्य सरकार की क्रियाविधि के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर कार्यान्वयन अभिकरण के विरूद्ध उचित कार्रवाई की शर्त भी शामिल की जाएगी । संबद्ध संसद सदस्य को स्वीकृति पत्र/आदेश की प्रतिलिपि भेजी जाएगी ।

3.14 योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तर के अधिकारियों के पास होता है । इस योजना के अंतर्गत कार्यों के शीघ्र कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए, राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा जिला अधिकारियों को पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिएं । जिला प्राधिकारियों को अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व सक्षम जिला अधिकारियों से कार्यों को

तकनीकी रूप से अनुमोदित करवाने और वित्तीय प्राक्कलन तैयार करवाने का पूर्ण अधिकार होगा । कार्य स्वीकृत करने से पूर्व जिला प्राधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारियों से सभी अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं और कार्य दिशा-निर्देशों के अनुरूप है ।

3.15 संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित और जिला प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए कार्य को केवल संसद सदस्य की इच्छा से ही रद्द किया जा सकता है, बशर्ते कार्य का कार्यान्वयन शुरू नहीं हुआ है और उसे रद्द करने के परिणामस्वरूप सरकार पर किसी भी प्रकार की संविदात्मक वित्तीय देयता/लागत का भार नहीं पड़ता है और वो पैरा 3.11 के अनुरूप भी है । यदि किसी अनिवार्य कारण से, चालू कार्य को रोकना/स्थगित करना अत्यावश्यक हो जाता है तो भारत सरकार एवं संबद्ध संसद सदस्य को सूचना देते हुए मामले को पूर्ण औचित्य के साथ राज्य केंद्रक विभाग को भेज दिया जाना चाहिए ।

3.16 संसद सदस्य से कार्यों की अनुशंसा प्राप्त होने और जिला प्राधिकारी द्वारा कार्य स्वीकृति आदेश जारी किए जाने पर, जिला प्राधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वीकृत कार्यों का विवरण इनपुट फार्मेट **(अनुबंध-IV क,ख,ग,घ और ड.)** में दर्ज किया जाए और एमपीलैड्स वेबसाइट (www.mplads.nic.in) में अप-लोड किया जाए अथवा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए संप्रेषित कर दिया जाए । जिला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि 1 अप्रैल, 2005 से स्वीकृत किए गए सभी कार्यों की प्रविष्टि की गई है और उन्हें मंत्रालय को वेबसाइट पर डालने के लिए संप्रेषित कर दिया गया है । पूर्व वर्षों में क्रियान्वित किए जा चुके कार्यों और क्रियान्वयनाधीन कार्यों पर भी यही प्रक्रिया लागू होगी और सभी प्रविष्टियां भी समयबद्ध तरीके से करनी होंगी । किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में, सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत कार्यों के प्रबोधन के लिए सॉफ्टवेयर मैनुअल पहले ही जारी किया जा चुका है और वेबसाइट पर संदर्भ के लिए उपलब्ध है ।

3.17 एमपीलैड योजना को केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजना के समरूप बनाया जा सकता है बशर्ते ऐसे कार्य सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत पात्र हैं । स्थानीय निकायों से प्राप्त निधियां भी सां.स्था.क्षे.वि.यो. कार्यों के लिए एकत्र की जा सकती हैं । जहां भी राशि ऐसे एकत्र की जाती है, वहां अन्य योजना स्त्रोतों से प्राप्त निधियों को पहले प्रयोग में लाया जाना चाहिए और सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों को बाद में जारी किया जाना चाहिए ताकि सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियां कार्य पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाई जाएं ।

3.18 संबद्ध संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में राज्य सरकार के अंश के रूप में सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों के उपयोग की अनुशंसा कर सकते हैं बशर्ते केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्य सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत अनुमेय हैं ।

3.19 संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों के सार्वजनिक एवं सामुदायिक योगदान अनुमेय हैं । ऐसे मामलों में, सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों को अनुमानित राशि तक सीमित रखा जाएगा और सार्वजनिक एवं सामुदायिक योगदान को उसमें से घटाया जाएगा ।

3.20 केन्द्र एवं राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें सार्वजनिक एवं सामुदायिक अंशदान की व्यवस्था है । सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों का उपयोग किसी केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यक्रम/स्कीम में सार्वजनिक एवं सामुदायिक अंशदान के बदले नहीं किया जाएगा, जिनमें अंशदान का ऐसा घटक शामिल है ।

3.21 योजना के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियों/न्यासों के लिए सामुदायिक अवसरंचना और जनोपयोगी भवन कार्य अनुमेय हैं बशर्ते सोसाइटी/न्यास समाज सेवा/कल्याण गतिविधियों में लगे हुए हैं और पिछले तीन वर्षों से कार्यरत हैं । सोसाइटी/न्यास का अस्तित्व उस दिन से माना जाएगा, जिस तिथि से उक्त क्षेत्र में उनकी गतिविधियां शुरू हुईं अथवा संगत पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत जिस तारीख को उनका पंजीकरण हुआ हो, जो भी बाद में हो । लाभार्थी सोसाइटी/न्यास एक मान्यता प्राप्त लोकप्रिय, बिना लाभ के काम करने वाली, क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त संस्था होगी । ऐसी सोसाइटी/न्यास मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसका निर्णय संबद्ध जिलाधिकारी, बुनियादी संगत कारकों जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में निष्पादन, कल्याण गतिविधियां, उसकी गतिविधियों का गैर-लाभकारी रूझान, उसकी गतिविधियों में पारदर्शिता और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, के आधार पर करेगा । भूमि का स्वामित्व सोसाइटी/न्यास के पास रह सकता है, लेकिन सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों से निर्मित इमारत राज्य/संघ शासित सरकार की ही संपत्ति होगी । सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्ति का प्रचालन, प्रबंध एवं रखरखाव सोसाइटी/न्यास को ही करना होगा । यदि किसी समय, यह ज्ञात होता है कि सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों से निर्मित्त परिसंपत्ति उस प्रयोजन, जिसके लिए परिसंपत्ति का निधिकरण किया गया था, के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, तो राज्य/संघ शासित सरकार परिसंपत्ति को अपने अधिकार में ले सकती है और परिसंपत्ति के निर्माण हेतु सां.स्था.क्षे.वि.यो. से दी गई लागत की वसूली और स्वीकृत कार्य के लिए सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधि के उपयोग किए जाने की तारीख से गणना करते हुए प्रति वर्ष 18 % की दर से ब्याज भी ले सकती है । इस उद्देश्य से सोसाइटी/न्यास, जिला प्राधिकारी के साथ सरकार के पक्ष में अग्रिम रूप से एक औपचारिक करार (**अनुबंध-V** पर एक नमूना करार दिया गया है) करेगा । यह करार, 10 रूपए अथवा उससे अधिक के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, जैसा कि उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र में लागू हो, संगत पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जाएगा । पंजीकरण के लिए किसी स्टाम्प शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें परिसंपत्तियों का कोई औपचारिक हस्तांतरण नहीं होता है । किसी सोसाइटी/न्यास विशेष के एक अथवा उससे अधिक कार्यों के लिए सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों से 25 लाख रूपए से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता । यदि सोसाइटी/न्यास ने सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों से 25 लाख रूपए की राशि प्राप्त कर ली है, तो योजना के अंतर्गत सोसाइटी/न्यास के लिए किसी और कार्य की अनुशंसा नहीं की जाएगी । किसी सोसाइटी/न्यास को सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों की अनुशंसा नहीं की जाएगी यदि अनुशंसा करने वाला संसद सदस्य अथवा उसके परिवार का

कोई भी सदस्य, उस पंजीकृत सोसाइटी/न्यास का अध्यक्ष/सभापति अथवा प्रबंधन समिति का सदस्य अथवा न्यासी है । परिवार के सदस्यों में संसद सदस्य और संसद सदस्य की पत्नी, जिसमें उनके माता-पिता, भाई एवं बहन, बच्चे, पोते पोतियां और उनके पति अथवा पत्नी और उनके ससुराल के लोग शामिल हैं ।

3.22 योजना के अंतर्गत जैसे ही कार्य पूरा होता है उसे आम जनता के उपयोग के लिए खोल दिया जाना चाहिए । लोगों की अधिक जानकारी के लिए, सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत सभी कार्यों के लिए "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्य" कार्य की लागत, उसके शुरू होने, समापन और उद्घाटन तिथि, कार्य को कराने वाले संसद सदस्य के नाम के साथ एक पट्टिका (पत्थर/धातु) स्थायी रूप से लगाई जानी चाहिए ।

3.23 जिला प्राधिकारी के कार्यालय में सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों से पूर्ण किए गए और चालू कार्यों की सूची लगाई जानी चाहिए और आम जनता के सूचनार्थ वेबसाइट पर भी डाली जानी चाहिए ।

3.24 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दिए गए प्रावधानों और उसमें बनाए गए नियमों के अनुसार, सभी नागरिकों को सां.स्था.क्षे.वि.यो. के किसी भी पक्ष और उसके अंतर्गत अनुशंसित/स्वीकृत/क्रियान्वित कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है । इसमें संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों, स्वीकृत/स्वीकृत नहीं किए गए कार्यों, स्वीकृत कार्यों की लागत, उपयोगकर्ता अभिकरण इत्यादि के बारे में सूचना भी शामिल होनी चाहिए । यह जिला प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि वो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपेक्षित तरीके से सूचना उपलब्ध कराएं ।

4. निधि जारी करना और प्रबंधन

4.1 2 करोड़ रूपए की वार्षिक पात्रता को भारत सरकार द्वारा एक करोड़ रूपए की दो समान किश्तों में सीधे जिला प्राधिकारी (जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त अथवा नगर निगम का मुख्य कार्यपालक, अथवा जिला योजना समिति का मुख्य कार्यपालक, जैसी भी स्थिति हो) को जारी की जाती है । इसकी सूचना राज्य/संघ राज्य शासित केंद्रक विभाग और संबद्ध संसद सदस्य को भी दी जाएगी ।

4.2 लोक सभा के गठन, और राज्य सभा सदस्य के चुनाव के समय, पहली किश्त जिला प्राधिकारी को जारी की जाएगी और पैरा 4.3 के अंतर्गत अपेक्षित रिपोर्ट/प्रमाणपत्र की भी आवश्यकता नहीं होगी । राज्य सभा एवं लोक सभा के अनवरत सदस्यों की अनुवर्ती किश्त पैरा 4.3 में इंगित पात्रता मानदंड के अनुसार जारी की जाएगी । सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियां जारी करने के लिए पूर्व संसद सदस्य के सां.स्था.क्षे.वि.यो. खातों को मिलाया नहीं जाएगा । प्रत्येक संसद

सदस्य (निवर्तमान और पूर्व) के लिए वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट जिला प्राधिकारियों द्वारा पृथक रूप से भेजी जाएगी ।

4.3 पहली किश्त, वित्त वर्ष के प्रारंभ में जारी की जाएगी । यह भी इस शर्त पर होगा यदि संबद्ध संसद सदस्य को पिछले वर्ष की दूसरी किश्त जारी की गई थी । तथापि, यदि दूसरी किश्त जारी करते समय कोई विशिष्ट शर्त रखी गई हो तो पहली किश्त जारी करने से पूर्व उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों को दूसरी किश्त निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के पूर्ण होने पर ही जारी की जाएगीः--

(i) सभी स्वीकृत कार्यों की लागत को ध्यान में रखते हुए जिला प्राधिकारियों के खातों में उपलब्ध अस्वीकृत अधिशेष राशि 50 लाख रूपए से कम होने पर ।

(ii) संबंधित संसद सदस्य के संबंध में अव्ययित शेष 1 करोड़ रुपए से कम हो; और

(iii) पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए उपयोग प्रमाणपत्र और पूर्व वर्ष से पहले वर्ष में संबंधित संसद सदस्य के लिए जारी निधियों हेतु लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र जिला प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका हो । उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा प्रपत्र क्रमशः **अनुबंध VIII और IX पर हैं** ।

उपर्युक्त (i) और (ii) पर दिए गए अनुबंधों की गणना, जिला प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्तमान और पूर्व-संसइ सदस्य के लिए अवधिवार पृथक-पृथक रूप से भेजी जानी वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट से की जाएगी। **अनुबंध- VI** वह प्रपत्र है, जिसमें जिला प्राधिकारियों द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजी जानी है।

तथापि 14वीं लोक सभा के नए संसद सदस्यों और राज्य सभा सदस्यों के लिए जो 2004-05 में चुने गए हैं, 2005-06 के लिए दूसरी किश्त जारी करने के लिए, 2004-05 के दौरान जारी निधियों के लिए उपयोग प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा । तथापि 14वीं लोक सभा के उन संसद सदस्यों के मामले में जो पुनः निर्वाचित हुए हों और राज्य सभा के उन सदस्यों के लिए भी जो 2004-05 के पहले से लगातार सदस्य रह चुके हों, 2005-06 की दूसरी किश्त तभी जारी की जाएगी, बशर्ते उपर्युक्त खंड (iii) में दी गई शर्तों का अनुपालन होता हो ।

4.4 **निधियां अव्ययगत :** भारत सरकार द्वारा जिला प्राधिकारियों को जारी की गई निधियां अव्ययगत होती हैं । जिलों के पास बची हुई निधियों को अनुवर्ती वर्षों में उपयोग हेतु अग्रेनीत किया जा सकता है । आगे, वे निधियां, जो भारत सरकार द्वारा एक वर्ष में जारी न की गई हों, को अनुवर्ती वर्षों में जारी किए जाने के लिए अग्रेनीत किया जाएगा, बशर्ते पैरा 4.3 में निर्धारित मापदंड का अनुपालन हो ।

4.5 एक विशेष वर्ष में, निधियों के लिए राज्य सभा सदस्यों की पात्रता का निर्धारण निम्न रूप से किया गया हैः-

वित्तीय वर्ष में संसद सदस्य के रूप में अवधि	पात्रता
3 माह से कम	शून्य
9 माह तक	वार्षिक आबंटन का 50%
9 माह से अधिक	वार्षिक आबंटन का 100%

4.6 यदि एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में बंटा हुआ है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र की निधियां केन्द्रक जिला अधिकारी को जारी की जाएंगी, जो निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अन्य जिलों में उन जिलों की आवश्यकतानुसार निधियों के अंतरण हेतु जिम्मेवार होगा ।

4.7 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पूर्ववर्ती संसद सदस्य द्वारा छोड़ा गया सां.स्था.क्षे.वि.यो.निधियों का शेष (वे निधियां जो अनुशंसित कायों के लिए न हों) उस निर्वाचन क्षेत्र के उत्तरवर्ती संसद सदस्य को दे दिया जाएगा ।

4.8 राज्य सभा के निर्वाचित सदस्यों के संबंध में, एक विशेष राज्य में, पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा एक केन्द्रक जिले में छोड़ा गया निधियों का शेष (वे निधियां जो अनुशंसित और स्वीकृत कार्यों के लिए नहीं हैं) उस राज्य के उत्तरवर्ती निर्वाचित राज्य सभा सदस्यों के बीच राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा ।

तथापि, 1993-94 से 2004-05 तक राज्य सभा के पूर्व संसद सदस्यों के अव्ययित शेष, यदि वह पहले वितरित न किया गया हो, को संबंधित राज्यों के वर्तमान राज्य सभा सदस्यों के बीच बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा ।

4.9 केन्द्रक जिलों में राज्य सभा के नामित सदस्यों द्वारा छोड़ा गया निधियों का शेष, (वे निधियां जो अनुशंसित और स्वीकृत कार्यों के लिए नहीं हैं) भारत सरकार द्वारा राज्य सभा के नामित उत्तरवर्ती सदस्यों के बीच बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा ।

तथापि 1993-94 से 2004-05 तक राज्य सभा के पूर्व नामित सदस्यों द्वारा अव्ययित शेष, यदि वह पहले वितरित न किया गया हो, को राज्य सभा के वर्तमान उत्तरवर्ती नामित सदस्यों के बीच बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा ।

4.10 लोक सभा के नामित एंग्लो-इंडियन सदस्यों द्वारा छोड़ा गया अव्ययित शेष, भारत सरकार द्वारा लोक सभा के उत्तरवर्ती नामित एंग्लों इंडियन सदस्यों के बीच बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाएगा ।

तथापि, 1993-94 से 2004-05 तक लोक सभा के पूर्ववर्ती नामित एंग्लो-इंडियन सदस्यों द्वारा अव्ययित शेष, यदि वह पहले वितरित ना किया गया हो, को लोक सभा के वर्तमान नामित सदस्यों में बराबर-बराबर वितरित कर दिया जाए ।

4.11 भारत सरकार उन, निधियों के लिए जो जारी नहीं की गई, के लिए, जैसा भी मामला हो, पैटर्न का अनुपालन करना होगा, जो कि खंड 4.7 से 4.10 में निर्धारित किया गया है और निधियां भारत सरकार द्वारा जारी की जाएंगी ।

4.12 साधारणतया एक निर्वाचित/नामित राज्य सभा सदस्य द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के कारण समय से पहले खाली हुई सीट को, उस संसद सदस्य की शेष कार्य अवधि हेतु निर्वाचन/नामांकन द्वारा भरा जाता है । ऐसे मामलों में दोनों संसद सदस्यों की कुल कार्यावधि 6 वर्ष रहेगी । अतः नये संसद सदस्य, उस संसद सदस्य के उत्तरवर्ती माने जाएंगे, जो सीट को समय से पहले रिक्त करता है और शेष निधि, अन्य संसद सदस्यों के बीच वितरित नहीं की जाएगी बल्कि उत्तरवर्ती संसद सदस्य के एमपीलैड्स खाते में अंतरित कर दी जाएगी ।

4.13 जिला प्राधिकारी द्वारा संसद सदस्य की उस वर्ष की पात्रता के अनुसार, निधियों की प्रत्यक्ष उपलब्धता के बिना भी कार्यों की स्वीकृति दी जा सकती है। सरकार द्वारा, पैरा 4.2 और 4.3 में निर्धारित पात्रता के अनुसार निधियां जारी की जाएंगी ।

4.14 जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन अभिकरण निधियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करवाएंगे । इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक संसद सदस्य के लिए एक अलग खाता खोला जाएगा ।

4.15 जिला प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए अनुमानित राशि का 50% अग्रिम कार्यान्वयन अभिकरण को जारी किया जा सकता है । कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक और वित्तीय रिपोर्ट के आधार पर, जिला प्राधिकारी शेष निधियां जारी कर सकता है जब अग्रिम का 60% तक उपयोग हो चुका हो ।

4.16 जिला प्राधिकारी, को इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए जारी निधियों पर प्रोद्भूत ब्याज का उपयोग संबंधित संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित अनुमेय कार्यों के लिए किया जाएगा । कार्यान्वयन अभिकरणों को, इस स्कीम के अंतर्गत जारी निधियों पर प्रोद्भूत ब्याज की गणना, बचत के समय की जाएगी । प्रत्येक कार्य के लिए की गई बचत, कार्य पूर्ण होने के 30 दिन के भीतर जिला प्राधिकारी को वापिस दे दी जाएगी ।

4.17 **आकस्मिक खर्चेः** जिला प्राधिकारी सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत एक वर्ष के अंदर पूर्ण कार्यों पर किए गए व्यय का 0.5% तक आकस्मिक खर्चे के रूप में उपयोग उन मदों के लिए कर सकता है जो इस प्रकार हैः- (i) स्टेशनरी की खरीद, (ii) कार्यालय उपस्कर, जिसमें कंप्यूटर शामिल हैं(लैपटॉप को छोड़कर) (iii) टेलीफोन/फैक्स खर्चे, डाक खर्चे और (iv)

किए गए व्यय (क) सां.स्था.क्षे.वि.यो. संबंधी कार्यों का प्रबोधन, सॉफ्टवेयर प्रचालन योग्य बनाना (ख) लेखाओं के लिए लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र लेना और लेखा परीक्षा ।
इस राशि का उपयोग इन मदों की लागत पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता हैः- (क) किसी भी प्रकार के कार्यालय फर्नीचर, वाहन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि की खरीद, (ख) कार्यालय भवन का नवीकरण और रखरखाव ।

सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत, एक वर्ष के भीतर किए गए इस प्रकार के खर्चों के लिए, एक अलग से खाता रखा जाएगा और लेखा परीक्षा की संवीक्षा हेतु वितरण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त संबंधित संसद सदस्य को इस संबंध में सूचित किया जाएगा ।

4.18 **प्रशासनिक और सेंटएज प्रभारः** सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन अभिकरण, प्रारंभिक कार्य, कार्यान्वयन और परियोजना/कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए की गई अपनी सेवाओं के बदले में किसी प्रकार प्रशासनिक प्रभाग, सेंटएज, किसी व्यक्ति का वेतन, यात्रा व्यय, आदि नहीं वसूलेंगे ।

5. लेखाकरण कार्यविधि

5.1 जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन अभिकरण सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों के लिए, संसद सदस्य वार लेखा रखेंगे । भारत सरकार से जिला प्राधिकारी को प्राप्त और जिला प्राधिकारी से कार्यान्वयन अभिकरणों को प्राप्त एमपीलैड्स निधियों को केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत बैंक खातों में रखा जाएगा । प्रत्येक संसद सदस्य के लिए केवल एक खाता रखा जाएगा । जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा एमपीलैड्स निधियों को राज्य/संघ शासित सरकारी कोष खातों में जमा कराना निषिद्ध है ।

5.2 जिला प्राधिकारी, उन सभी एमपीलैड्स संबंधी कार्यों के लिए जिसका सृजन जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाता है, के लिए एमपीलैड्स निधियां प्राप्त की जाती हैं, विभिन्न शीर्ष वार क्रियान्वित कार्यों की सूची (शीर्ष और कार्यों का कोड अनुच्छेद IV-ई में देखा जा सकता है) भी एक परिसंपत्ति रजिस्टर में रखेंगे ।

5.3 कार्य के पूरा होने पर, कार्यान्वयन अभिकरण तत्काल उस कार्य के खातों का निपटान करेंगे और एक कार्य समापन रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे और अप्रयुक्त शेष (बचत) और ब्याज की राशि को 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला प्राधिकारी को वापिस करेंगे । कार्य समापन रिपोर्ट का नमूना अनुच्छेद VII पर है । जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन अभिकरण, बिना विलंब किए उपयोगकर्ता अभिकरण को परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का प्रबंध करेंगे । उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा, सामान्य प्रचालन और रखरखाव के लिए उन्हें अपनी बहियों में रखेंगे ।

उपयोग और लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

5.4 जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन अभिकरण समुचित रूप से एमपीलैड्स खातों का रखरखाव करेंगे । जिला प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष दिशा निर्देशों में निर्धारित **(अनुबंध VIII)** प्रपत्र में राज्य सरकार और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगें । इन लेखा और उपयोगिता प्रमाणपत्रों की राज्य/संघ शासित सरकारों की प्रक्रिया के अनुसार चार्टड एकाउंटेंट अथवा लोकल फंड ऑडिटर्स अथवा किसी सांविधिक ऑडिटर्स द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी । ये लेखा परीक्षक, राज्य/संघ शासित सरकार द्वारा प्रत्येक जिला प्राधिकारी के संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के महालेखाकार की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे । जिला प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षित लेखा, रिपोर्ट और प्रमाणपत्र राज्य सरकार और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजेंगे । जिला प्राधिकारी और कार्यकारी अभिकरणों के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए स्कीम के अंतर्गत सामान्य लेखा परीक्षा पद्धति अपनाई जाएगी । इसके अतिरिक्त भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक टेस्ट ऑडिट करेंगे और जिला प्राधिकारियों, राज्य सरकार और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेंगे ।

5.5 लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद सदस्यवार तैयार की जानी चाहिए और जिसके साथ निम्नलिखित पहलुओं का समावेश भी किया जाना चाहिये (i) जिला प्रशासन और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा रखे जा रहे बचत/अन्य बैंक खातों की संख्या; (ii) यदि सावधि जमा में कोई राशि रूकी पड़ी हो (सावधि जमा अनुमेय नहीं है); (iii) क्या बचत खातों पर प्रोद्भूत ब्याज को प्राप्ति के रूप में लिया गया है और कार्य के लिए उसका उपयोग किया गया है; (iv) बिल प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन अभिकरणों के खातों में जमा करने में विलंब, यदि कोई हो तो विलंब की अवधि; (v) क्या बैंक द्वारा प्रत्येक माह कैश बुक बैलेंस और पास बुक बैलेंस के संबंध में समाधान किया जा रहा है; (vi) बैंक समाधान में प्रोद्भूत ब्याज का भी समावेश होना चाहिए । बैंक समाधान विवरणी 31 मार्च तक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जोड़ दी जानी चाहिए; (vii) जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कैश बुक का समुचित रखरखाव; (viii) बैंक समाधान के अनुसार 31 मार्च को चैकों का जारी किया जाना लेकिन उनको भुनाया जाना नहीं; (ix) कार्यान्वयन अभिकरणों को दिए गए अग्रिमों में से किया गया वास्तविक व्यय और उनके साथ अंत शेष (क्लोजिंग बैलेंस); (x) निधियों को दूसरे कार्यों में लगाना, प्रतिबंधित कार्य और खर्च की गैर-अनुमेय मदें(प्रत्येक मामले में विवरण सहित जिला प्राधिकारी के विचार लेखा-परीक्षा की आपत्तियों के समाधान तथा उत्तरवर्ती वर्ष में अनुवर्ती लेखा-परीक्षा हेतु जिला प्राधिकारी के लिए लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का भाग होंगे); और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए निर्धारित निधि का उपयोग; (xi) अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग से चिन्हित निधियों का उपयोग ।

5.6 जिला प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए दिया गया लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र लेखा आपत्तियों के उत्तरों के साथ आगामी वर्ष की 30 सितंबर को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा । सभी लेखा परीक्षा आपत्तियों को उसी समय निपटाने की जिम्मेवारी जिला प्राधिकारी की होगी । कार्यान्वयन अभिकरणों को कार्य समापन रिपोर्ट और संबंधित निधि के उपयोग की रिपोर्ट जिला प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी । चार्टर्ड एकाउंटेंट को ऐसी सभी रिपोर्टों और रिकार्डों की लेखा परीक्षा करनी होगी और इन दिशा-निर्देशों में दिए गए नमूना लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र (अनुबंध IX)में अपना प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । लेखा परीक्षा फीस का भुगतान पैरा 4.17 की मद iv (ख) के अनुसार आकस्मिक व्यय के अंतर्गत किया जाएगा ।

5.7 राज्य सभा के चयनित एवं नामित पूर्व सदस्य और लोक सभा के नामित सदस्य ऐसे भी हैं जिन्होंने सां.स्था.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत कार्यों की अनुशंसा की थी जिन्हें अभी पूरा किया जाना है जिनके लिए जिला प्राधिकारियों को मासिक प्रगति रिपोर्ट सहित (अनुबंध-VI) कार्य समापन रिपोर्ट, उपयोग एवं लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने हैं ।

5.8 वर्ष 1993-94 से जिला प्राधिकारियों द्वारा सां.स्था.क्षे.वि.यो. निधियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है । उन्हें आवधिक रूप से कार्य समापन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होते हैं । इन प्रमाणपत्रों के कार्य के प्रारंभ से ही सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को प्रस्तुत करना होता है । समापन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा परीक्ष प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने के लिए जिला प्राधिकारियों के लिए निम्नलिखित समय-सीमा निर्धारित की गई हैः-

वर्ष	सभी कार्यों की समापन रिपोर्ट	उपयोगिता और लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र
1993-94 से 1998-99	31-03-2006	30-06-2006
1999-2000 से 2002-03	30-06-2006	30-09-2006
2003-2004 से 2004-05	30-09-2006	31-12-2006

6. प्रबोधन

6.1 **एमपीलैड्स संसदीय समितियों की भूमिकाः** संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी संसद की दो समितियां हैं, संसद सदस्यों के अभ्यावेदन और उपयुक्त कार्रवाई हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परामर्श के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकार करती है । संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समितियों की भूमिका का निर्णय, लोक सभा समिति के लिए लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा समिति के लिए राज्य सभा सभापति द्वारा किया जाता है ।

6.2 केन्द्र सरकार की भूमिका

(i) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों, स्वीकृत कार्यों की लागत, व्यय की गई निधियों इत्यादि की समग्र स्थिति का प्रबोधन करेगा ।

(ii) मंत्रालय, जिला प्राधिकारियों से प्राप्त समापन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र का प्रबोधन करेगा ।

(iii) मंत्रालय, सां.स्था.क्षे.वि.यो. के कार्यान्वयन पर वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति सहित वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा ।

(iv) मंत्रालय, सां.स्था.क्षे.वि.यो. के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए, एक वर्ष में एक बार राज्यों और साथ ही केन्द्र में बैठकों का आयोजन करेगा ।

(v) मंत्रालय, सां.स्था.क्षे.वि.यो. पर जिला अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री उपलबध कराएगा, और जब भी इन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है ।

(vi) मंत्रालय ने सां.स्था.क्षे.वि.यो. संबंधी कार्यों के प्रबोधन के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसका प्रचालन, राज्य सरकारों, संघ शासित सरकारों और जिला प्राधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा।

(vii) मंत्रालय, जिला प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निधियों के उपयोग की समीक्षा करेंगे ।

(viii) मंत्रालय लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों और लेखा परीक्षा से उत्पन्न हुए मामलों और उपयोग प्रमाण पत्र की समीक्षा करेगा ।

6.3 राज्य/संघ शासित सरकार की भूमिका

(i) केन्द्रक विभाग, मंत्रालय के साथ समन्वय और राज्यों में सां.स्था.क्षे.वि.यो. कार्यान्वयन के संबंध में समुचित और प्रभावी पर्यवेक्षक के लिए जिम्मेवार होगा । इसके लिए, मुख्य सचिव/विकास आयुकत/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा जिला प्राधिकारियों और संसद सदस्यों के साथ, एक वर्ष में एक बार सां.स्था.क्षे.वि.यो. कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा की जान चाहिए । ऐसी बैठकों में, केन्द्रक विभागों के सचिव और अन्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों को भी भाग लेना चाहिए ।

(ii) ऐसे राज्य/संघ शासित प्रदेश, जहां डिविजनल कमिश्नर के प्रबंध हों, वहां डिविजनल कमिश्नर को, सां.स्था.क्षे.वि.यो. के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और जिला प्राधिकारियों को मागदर्शन करने के लिए शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ।

(iii) राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश, (क) जिला प्राधिकारी द्वारा अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निधियों के उपयोग (ख) लेखा परीक्षा आपत्तियों और लेखा परीक्षा से उत्पन्न हुए मामलों और उपयोग प्रमाण पत्र की समीक्षा करेगा ।

(iv) राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश एक विशिष्ट आदेश द्वारा सां.स्था.क्षे.वि.यो. के कार्यान्वयन के लिए, जिला प्राधिकारियों और जिला कार्यकर्ताओं को तकनीकी और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करेगा ।

(v) राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश, जिला अधिकारियों के सां.स्था.क्षे.वि.यो. के कार्यान्वयन संबंधी प्रशिक्षण के लिए प्रबंध करे ।

(vi) राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश अपने, उप सचिव/कार्यपालक इंजीनियर पद के समकक्ष के अधिकारियों को सां.स्था.क्षे.वि.यो. संबंधी कार्यों के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत करेगी, जब कभी वे सरकारी क्षेत्रीय दौरा करते हैं । वह जिला प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए सां.स्था.क्षे.वि.यो. संबंधी कार्यों की संख्या की जांच एवं समीक्षा भी करें ।

(vii) राज्य/संघ शासित सरकार, राज्य/संघ शासित सरकार के महालेखाकार के परामर्श, प्रत्येक जिला प्राधिकारी के सां.स्था.क्षे.वि.यो. संबंधी लेखों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त करेगी ।

(viii) राज्य/संघ शासित सरकार अपने राज्य में सां.स्था.क्षे.वि.यो. कार्यान्वयन संबंधी डाटा अपनी वेबसाइट पर डालेगी ।

(ix) राज्य/संघ शासित सरकार राज्य सभा के संसद सदस्यों के अव्ययित शेष का पैराग्राफ 4.8 में निर्धारित किए गए अनुसार वितरण करेगी ।

6.4 **जिला प्राधिकारी की भूमिकाः** जिला प्राधिकारी की भूमिका का वर्णन दिशा-निर्देशों के विभिन्न पैरों में किया गया है । यहां समन्वय और पर्यवेक्षण के संबंध में जिला प्राधिकारी की भूमिका को इंगित किया जा रहा है ।

(i) जिला प्राधिकारी, जिला स्तर पर, योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा, और प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयनाधीन कार्यों का कम से कम 10% तक का निरीक्षण करेगा । जिला प्राधिकारी को जहां तक व्यवहार्य हो, संसद सदस्य को भी कार्यों के निरीक्षण में शामिल करना चाहिए ।

(ii) जिला प्राधिकारी द्वारा पैरा 2.5 में दिए प्रावधानों का प्रवर्तन किया जाना चाहिए जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सां.स्था.क्षे.वि.यो. संबंधी कार्यों के लिए क्रमशः 15% और 7.5% निधिकरण हेतु अलग से चिन्हित किया गया है ।

(iii) जिला प्राधिकारी को, संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित प्रत्येक कार्य की स्थिति को दर्शाने वाला वर्क कार्य रजिस्टर रखना चाहिए और 5 लाख और उससे अधिक लागत वाले प्रत्येक कार्य के चित्र सहित कार्य का ब्यौरा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को वेब में डालने के लिए भेजा जाना चाहिए ।

(iv) जिला प्राधिकारी को, योजना निधियों द्वारा सृजित परिसंपत्तियों और बाद में उपयोगकर्ता अभिकरणों को उनके स्थानांतरण के संबंध में एक रजिस्टर रखना चाहिए ।

(v) जिला प्राधिकारी सोसायटियों और ट्रस्ट द्वारा निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चत करेगा कि उनमें अनुबंध संबंधी शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है । अनुबंध के किसी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, जिला प्राधिकारी द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

(vi) जिला प्राधिकारी कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ, प्रत्येक माह सां.स्था.क्षे.वि.यो. संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा । जिला प्राधिकारी संबंधित संसद सदस्य को समीक्षा बैठकों के लिए आमंत्रित करेगा ।

(vii) लेखा परीक्षा में उठाई गई लेखा परीक्षा आपत्तियों को निपटाने की जिम्मेदारी जिला प्राधिकारियों की होगी ।

(viii) जिला प्राधिकारी, भारत सरकार, राज्य/संघ शासित सरकार और संबद्ध संसद सदस्य को प्रत्येक संसद सदस्य के लिए अगले महीने की 10 तारीख को या उससे पहले पृथक रूप से मासिक प्रगति रिपोर्ट अनुबंध-VI में किए गए प्रपत्र में भरकर भेजेंगे । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में क्रियान्वयन के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय विवरण, अनुबंध-VI में उपलब्ध प्रपत्र के भाग IV और V में प्रस्तुत की जाएगी ।

(ix) पैराग्राफ 4.8 के अनुसार, केन्द्रक जिला प्राधिकारी निर्वाचित राज्य सभा संसद के अव्ययित शेष के बारे में राज्य/संघ शासित सरकार को रिपोर्ट देगा । वह पैराग्राफ 4.9 और 4.10 के अनुसार ब्यौरे की रिपोर्ट भारत सरकार को भी देगा ।

6.5 **कार्यान्वयन अभिकरणों की भूमिकाः**

(i) यह कार्यान्वयन अभिकरण के अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी कि कार्य स्थलों का नियमित दौरा करें और सुनिश्चित करें कि कार्य, निर्धारित कार्यविधि और विनिर्देशों और समय अनुसूची के अनुसार संतोषजनक प्रगति कर रहे हैं ।

(ii) कार्यान्वयन अभिकरण प्रत्येक कार्य की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति से जिला प्राधिकारी को प्रत्येक माह अवगत कराएंगे इसकी एक प्रति संबद्ध राज्य विभाग को भी प्रस्तुत की जाएगी । कार्यान्वयन अभिकरण सॉफ्ट फारमेट में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

(iii) कार्यान्वयन अभिकरण, कार्य समाप्त होने के एक माह के अंदर जिला प्राधिकारी को समापन रिपोर्ट/प्रमाणपत्र और उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे ।

(iv) कार्यान्वयन अभिकरण, एक माह के अंदर ब्याज, यदि कोई हो, सहित बचत (अधिशेष राशि) को जिला प्राधिकारी को लौटा देगा और इस उद्देश्य से खोले गए बैंक खाते को भी बंद कर देगा ।

7. दिशा-निर्देशों का लागू किया जानाः

7.1 दिशा-निर्देश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे । सां.स्था.क्षे.वि.यो. संबंधी यह दिशा-निर्देश, वर्तमान दिशा-निर्देशों और उनके अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों को प्रतिस्थापन करते हैं ।

7.2 सां.स्था.क्षे.वि.यो. के दिशा-निर्देशों से संबंधित स्पष्टीकरण अथवा इन दिशा-निर्देशों में दिए गए प्रावधानों की व्याख्या, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के समक्ष रखी जानी चाहिए इस विषय पर मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा ।